# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 45/2021 G.C.M.S. No. 2021/216 दर्ज दिनांक : 16.08.2021

अपीलार्थी:

1. गणपतसिंह गोदपुत्र समरथसिंह, जाति पुरोहित, निवासी बींजा, तहसील रोहट व जिला पाली।

## बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मीमादेवी पुत्री समरथसिंह, पत्नि नरपतसिंह, जाति पुरोहित, निवासी धींगाणा, तहसील रोहट व जिला पाली।
2. दरिया देवी पुत्री समरथसिंह पत्नि भैरूसिंह, निवासी धींगाणा, तहसील रोहट हाल शंखेश्वर हाउसिंग सोसायटी सूरत (गुजरात)
3. मृतक मोहिनी देवी के कायम मुकामात वारिसानः—
   3/1 गनेन्द्रसिंह पुत्र शंकरसिंह एवं मोहिनी देवी
   3/2 रेखा पुत्री शंकरसिंह एवं मोहिनी देवी
   3/3 अन्नु पुत्री शंकरसिंह एवं मोहिनी देवी, निवासीगण बूसी, हाल गणेश क्लॉथ सेंटर, कान्दीवली, वेस्ट मुंबई, महाराष्ट्र।
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2017 बअनवान गणपतसिंह बनाम मीमादेवी में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2021**

**पैरोकार—**

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, श्री मुस्ताक खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

## निर्णय

दिनांकः 19.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2017 बअनवान गणपतसिंह बनाम मीमादेवी में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि अपीलाण्ट वादी द्वारा एक वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट समरथसिंह का गोदीपुत्र है व वाद में दर्ज कृषि भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा रहा है तथा म्यूटेशन संख्या 173 दिनांक 17.04.1979 के तहत अपीलाण्ट का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ। रेस्पोंडेण्ट प्रतिवादी द्वारा 39 वर्ष बाद कलेक्टर के यहां अपील की व अपील का एकतरफा निर्णय हुआ, जिसकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील संभागीय आयुक्त में हुई। पत्रावली रिमाण्ड की तत्पश्चात् कलक्टर, पाली द्वारा अपील रेस्पोंडेण्ट की स्वीकार कर ली व दिनांक 04.11.2016 को म्यूटेशन संख्या 1077 के जरिये रेस्पोंडेण्ट का नाम अपीलाण्ट का नाम हटाकर दर्ज कर दिया गया व अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार व समरथसिंह का पुत्र है, इसलिये अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावें व म्यूटेशन निरस्त किया जायें व दावा दर्ज होने के बाद रेस्पोंडेण्ट प्रतिवादी द्वारा दिनांक 19.01.2018 को एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 21.11.2016 को प्रतिवादी मोहिनी की मृत्यु हो चुकी हैं व वाद मृतक के विरूद्ध पेश किया है जो Nullity है, इस कारण वाद को खारिज किया जावें। जवाब अपीलाण्ट वादी द्वारा पेश किया गया व तत्पश्चात् दिनांक 09.07.2021 को अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 22 नियम 4 व 9 तथा आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मोहिनी देवी के वारिसान को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जावे। उक्त आवेदन पेश होने के दिन ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर वाद अपीलाण्ट वादी का खारिज कर दिया गया। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि कोविड–19 की महामारी होने से तालाबन्दी होने से न्यायालय की कार्यवाही दिनांक 05.07.2021 से पूर्व बन्द थीं तथा न्यायालय में कार्य नहीं हो रहा था तथा दिनांक 05.07.2021 से ही कार्य शुरू हुआ तथा प्रथम पेशी दिनांक 09.07.2021 को थीं तथा अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 09.07.2021 को आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश किया व इसी दिन प्रतिवादी के अधिवक्ता को नकल दी गई जो प्रार्थना पत्र नकल लेने की टिप्पणी दर्ज है व हस्ताक्षर है तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 28.07.2021 को रखी गई, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2021 को पेशी होना दर्ज कर बहस सुनी होना दर्ज कर दिनांक 09.07.2021 को वास्ते आदेश पत्रावली मुकर्रर कर दी गई जबकि दिनांक 07.07.2021 की आदेशिका में उक्त अनवान की पत्रावली दर्जसुदा नहीं हैं तथा न ही दिनांक 07.07.2021 को कोई बहस ही हुई। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो पारित किया गया, उसकी द्वितीय लाईन में यह दर्ज किया है कि दिनांक 09.07.2021 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। जबकि दिनांक 07.07.2021 को 09.07.2021 को प्रार्थना पत्र अस्तित्व में ही नहीं था तो दिनांक 09.07.2021 के प्रार्थना पत्र पर बहस ही नहीं हुई। इस तरीके से यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दुर्भावनापूर्वक आदेश बिना सुनवाई किये, पारित किया गया है। दिनांक 07.07.2021 को आदेशिका में पुनः बहस सुना जाना लिखा गया है। परन्तु सम्पूर्ण पत्रावली में पूर्व में किसी भी पेशी पर बहस सुनी गई हों, ऐसा आदेशिका में दर्ज नहीं हैं। परन्तु बावजूद इसके भी पुनः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बहस सुनी गई होना दर्ज कर दिनांक 09.07.2021 को अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया तथा दिनांक 27.07.2021 को पीठासीन अधिकारी का ट्रांस्फर हो चुका था, इस कारण दिनांक 28.07.2021 को बहस नहीं हुई व अधिवक्ता को यही जानकारी रही कि बहस नये पीठासीन अधिकारी आने पर की जायेगी, परन्तु दिनांक 09.07.2021 को ही आदेश पारित कर दिया, जिसकी जानकारी दिनांक 04.08.2021 को हुई, इस कारण से जो आदेश पारित किया है, वह विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है व दुर्भावना की स्थिति स्पष्ट है। साथ ही अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.07.2021 को आवेदन पेश कर यह निवेदन किया कि यदि मृतक के विरूद्ध वाद पेश होना माना जावें तो उनके वारिसान को आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जावे व पक्षकार के रूप में संयोजित किया जावे, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मोहिनी देवी के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया तथा वाद को शून्य पेश होना निर्णित कर वाद को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है, इस कारण जैर अपील निर्णय सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 जो वाद प्रस्तुत करने से पूर्व मृत हो चुकी थीं, के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। जो Nullity होने से पोषणीय नहीं हैं। अतः काबिल खारिज है। अधिवक्ता वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 तथा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी तथा धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश द्वारा वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मृतक के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने तथा वाद प्रस्तुतीकरण से पूर्व मृत व्यक्ति के कायम मुकामात के लिए आदेश 22 व आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होने से वादपत्र खारिज किया गया।

3. हमारे विनम्र मत में चूंकि वादी द्वारा दिनांक 20.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 15.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 24.01.2018 को प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा मृतक प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु संबंधी कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थीं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित रजिस्टर्ड डाक न्यायालय को पुनः प्राप्त हुई। वादी का डाक पता तहसील रोहट है तथा मृतका प्रतिवादी संख्या 2 का डाक पता मुंबई अंकित है। अतः वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादीगण में से किसी एक पक्षकार के मृत होने की वादी को जानकारी हों, इसकी धारणा नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत होने से खारिज करने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2018 को प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त दिनांक से उक्त पक्षकार की मृत्यु की जानकारी वादी व अधीनस्थ न्यायालय को होना जाहिर है। वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व मृत पक्षकारान के वारिसान को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र द्वारा रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है तथा प्रकरण में केवल एकमात्र मृत प्रतिवादी पक्षकार ही नहीं था। बल्कि शेष अन्य दो प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी की जा रही थीं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण वादपत्र न तो नलिटी का शिकार होता है एवं न ही काबिल खारिज होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा विधिक प्रावधानों की संगत विवेचना किए बिना संपूर्ण वादपत्र खारिज करने में कानूनन भूल की हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वादपत्र का विनिश्चय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए तथा इसे जहां तक संभव हों कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय को अपास्त करते हुए मृतक प्रतिवादी मोहिनीदेवी के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया जाकर वादपत्र विधिनुरूप निर्णयन के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

# आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2017 बअनवान गणपतसिंह बनाम भीमादेवी में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2021 को अपास्त करते हुए मृतक प्रतिवादिया मोहिनीदेवी के वारिसान रेस्पोंडेंट संख्या 3/1 से 3/3 को बतौर प्रतिवादी पक्षकार रेकर्ड पर लिया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अधिवक्ता वादी से संशोधित शीर्षक प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र का व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 के संगत विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए विधिनुरूप निस्तारण करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.01.2026 को असालतन/वकालतन सहायक कलक्टर रोहट में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **19.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner